

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 51/2019

1-मन्जू मोदी पत्नी गोपाल मोदी

जाति महाजन निवासी नांवा तहसील नांवा जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1.-पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण
अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरुद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा
तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम मन्जू मोदी
मु0सं0 42/19 निर्णय दिनांक: 05.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट
का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट


निर्णय

दिनांक : 10.03.2021

[1] --यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नांवा के प्रकरण सं0 42/2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का नांवा बनाम मन्जू मोदी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरुद्ध पेश की है।

[2] मामलों के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांवा ने अपीलान्ट/अप्रार्थीया के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार नांवा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीया ने मौजा ग्राम सांभर झील के खसरा नम्बर 01 रकबा 02.90 हैक्टेयर किस्म गै0मु0झील पर नमक क्यार व कुएँ बनाकर अतिक्रमण




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीया को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये सम्मन जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थीया द्वारा मौजा सांभर झील नावा के खसरा नम्बर 01 रकबा 2.90 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 झील की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीया द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थीया ने संवत् 2074 में भी अतिक्रमण कर रखा था, जिसको पटवारी हल्का द्वारा बेदखली आदेश की पालना में पूर्व में दिनांक 27.02.2019 को बेदखल किया जा चुका है। बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी अप्रार्थीया ने अतिक्रमण कर लेने से पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में आने से अप्रार्थीया को न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर मौजा सांभर झील नावा के खसरा नम्बर 01 रकबा 2.90 हैक्टेयर गैर मुमकिन झील से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं संवत् 2074 की वार्षिक लगान दर 11.60 रुपये के 50 गुणा से जुर्माना रुपये 580/- एवं अप्रार्थीया मन्जू मोदी पत्नी गोपाल मोदी निवासी नावा को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीया द्वारा यह अपील दिनांक 10.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 10.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक प्राप्त हुई जिसे 24.07.2019 को शामिल पत्रावली किया।

{3} -वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।


{3}(2) –यह है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलान्ट को कभी नहीं मिले एवं उक्त नोटिस पर अपीलान्ट का स्थायी पता ग्राम नावां तहसील नावा पर जारी किया गया नोटिस की तामील आबाद मकान पर चस्पानगी में बताया गया।

{3}(3) –यह है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये ही अपीलार्थीया की वादित भूमि पर कब्जा मानकर 91 की जो कार्यवाही की है, वह कार्यवाही नियम विरुद्ध होने से काबिले निरस्त है।

{3}(4) –यह है कि अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवम न ही अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वेषता वश निर्णय किया है, जो काबिले निरस्त है।

{3}(5) – यह है कि अपीलार्थीया किसी भी सरकारी भूमि पर एक ईन्च भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। मगर अपीलार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व बिना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया, जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

[3](6) – यह है कि अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण के अलावा सम्वत 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थीया ने किसी सरकारी भूमि पर ही अतिक्रमण किया था एवम पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थीया पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है एवम उक्त प्रकरण संबंधी कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

[3](7) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली कभी भी बहस हेतु नियत नहीं की एवम ऑडर सीट में बहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूडीशियल माईड एप्लाइ नहीं किया है एवम राजनैतिक द्वेषता वशं वक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

[3](8) – यह है कि परिवादी हल्का पटवारी ने अपने परिवाद के समर्थन में बयान अवश्य लिखे है, मगर पटवारी हल्का ने बयान किस तारीख को एवम किस धारा में तथा उक्त बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कोई दस्तावेज या पश्चातवर्ती आदेश बाबत कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाये और बिना प्रदर्शित करवाये कोई भी दस्तावेज का कानूनन कोई महत्व नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

[4] – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा व भू0अ0निरीक्षक नांवा की रिपोर्ट, अनुसार अप्रार्थीया द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 2.90 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार एंव कुएँ बनाकर अतिक्रमण किया है तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 25/18 रिकोर्ड पर पटवारी के बयान से स्पष्ट है व अभिलेख से स्पष्ट है, जिससे साबित है अप्रार्थीया पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद सूचना होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना तथा अपना जवाब पेश नहीं किया जाना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट/अप्रार्थीया ने 50/- रुपये के नोन जुडिशियल स्टांप पर 9.03.2021 को एक शपथ पत्र भी पेश किया जिसमें बताया कि विवादित भूमि खसरा नं0 01 रकबा 2.90 हैक्टेयर के किसी भी भू भाग पर अपीलान्ट/अप्रार्थीया का कोई कब्जा/अतिक्रमण आज दिन तक नहीं है तथा यह भी कथन किया कि वाके शरहद नावां ख0नं0 05 रकबा 2.63 बीघा हैक्टेयर भूमि मेरी खरीद की हुई है जिसकी लीज डीड बनी हुई है। उक्त लीज डीड के अतिरिक्त सरकारी भूमि पर मेरा अतिक्रमण नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के मामले में धारा 91 के अन्तर्गत सिविल कारावास की सजा का प्रावधान है जो पर्याप्त रूप से कठोर दण्ड है। प्रस्तुत अपील में पटवारी हल्का के बयान भी सरसरी तौर पर पूर्व में टंकित प्रपत्र में रिक्त स्थान भर कर लिए गए हैं। पटवारी ने जिरह भी नहीं की गयी है। अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के शपथ पत्र के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

∴ ∴ आदेश ∴ ∴


अपीलान्टगण के शपथ पत्र के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना


सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में अपीलान्त का इस भूमि पर कब्जा नहीं है अथवा हटा लिया है, इस बाबत तहसीलदार नांवा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। यदि अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में की गयी स्वीकारोक्ति के अनुसार कब्जा नहीं छोड़ा है तो तहसीलदार 15 दिन के अन्दर जरिए पुलिस अपीलान्त का कब्जा हटावें।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (कानपुर)

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (कानपुर)